2025 : CGHC : 52155–DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील संख्या 1530 वर्ष 2022

1 – दीपक कुमार राठौर, आत्मज श्री दुर्गाप्रसाद राठौर, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम–गतौरा, थाना–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2 – ईश्वरी बाई राठौर, पति श्री दुर्गाप्रसाद राठौर, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम–गतौरा, थाना–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3 – मनहरण लाल राठौर (मृत)

----अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण की ओर से: श्री राजीव कुमार दुबे, अधिवक्ता एवं
सुश्री माया चतुर्विजानी, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से: श्री हरिओम राय, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायमूर्ति
बोर्ड पर निर्णय

द्वारा: बिभु दत्त गुरु, न्यायमूर्ति
दिनांक: 27.10.2025

1. अपीलार्थीगण, जो कि प्रांजल राठौर (अब मृतक) के पति, सास और नाना ससुर हैं, द्वारा प्रस्तुत यह अपील विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 48/2021 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 22/09/2022 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है:

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत	आजीवन सश्रम कारावास और 1000/– रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान के व्यतिक्रम की स्थिति में 100 दिनों का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख/34 के अंतर्गत	07 वर्ष का सश्रम कारावास और 100/– रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान के व्यतिक्रम की स्थिति में 10 दिनों का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

सभी दंडादेश साथ–साथ चलाने के निर्देश दिए गए।

2. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10/11/2023 के अनुसार, अपीलार्थी क्रमांक 3 – मनहरण लाल राठौर की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है और तदनुसार, उनके संबंध में वर्तमान अपील उपशमित कर दी गई है। अतः, हम केवल ए–1 (पति) और ए–2 (सास) के संबंध में अपील पर विचार कर रहे हैं।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 26.10.2020 को, अ.सा.–6 दिलीप राठौर, जो ए–1 का भाई और ए–2 का पुत्र है, ने मर्ग सूचना दर्ज कराई कि दिनांक 26.10.2020 को सुबह लगभग 8:30 बजे, ए–1 प्रांजल राठौर (मृतक) को उसके मायके सारागांव से उसकी ससुराल लेकर आया और दोनों ने साथ में भोजन किया। तत्पश्चात, ए–1 अपनी ड्यूटी पर चला गया। बाद में, मृतका ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रदर्श पी–7 के माध्यम से मर्ग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विवाह के पश्चात, अपीलार्थीगण ने मृतका को यह कहते हुए प्रताड़ित करना और उसके साथ क्रूरता करना शुरू कर दिया कि वह दहेज में कुछ नहीं लाई है, और वे उससे दहेज की मांग करने लगे। दिनांक 22.10.2020 को, जब मृतका नवरात्रि उत्सव के दौरान अपने मायके गई थी, तब अभियुक्तों ने दहेज के रूप में 3,00,000/– रुपये की राशि की मांग की और उसे उक्त राशि लाए बिना ससुराल लौटने से मना कर दिया। दिनांक 23.10.2020 को, ए–2 ने फोन पर मृतका की मां को अपशब्द कहे और धमकी दी कि यदि मृतका को 3,00,000/– रुपये के साथ वापस नहीं भेजा गया, तो उसे मार दिया जाएगा। अभियुक्तों द्वारा दहेज के लिए निरंतर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के परिणामस्वरूप, प्रांजल राठौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रदर्श पी–18 के माध्यम से प्राथमिकी पंजीकृत की गई। प्रदर्श पी–8 (Ex.P–8) के माध्यम से अपराध विवरण पत्रक तैयार किया गया। मृतका के शव को मरणोपरांत परीक्षण के लिए भेजा गया और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/12) में डॉ. महेंद्र मधुकर (अ.सा.–11/ए) ने राय दी कि मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण होने वाला श्वासावरोध था और मृत्यु की प्रकृति मानव–वध थी। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थीगण को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख/34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपराध सिद्ध करने हेतु, अभियोजन ने कुल 16 साक्षियों का परीक्षण किया और 25 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थीगण के कथन भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है और उन्हें निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेखित अनुसार दंडित किया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह दलील दी गई है कि मृतक की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग का कोई विशिष्ट या पुख्ता आरोप नहीं है। मृतक और अभियुक्त संख्या 1 का विवाह 26.04.2020 को संपन्न हुआ था और कथित घटना 26.10.2020 को हुई। इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान, न तो मृतक और न ही उसके माता–पिता ने क्रूरता या दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए कोई शिकायत या प्राथमिकी दर्ज कराई। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि केवल संदेह पर आधारित है। अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वग्राही प्रकृति के हैं, जिनमें दहेज की कथित मांग की प्रकृति या अवसर के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं है। उनका तर्क है कि यद्यपि अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख सहपठित धारा 34 और धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप–पत्र दाखिल किया गया था, विचारण न्यायालय ने उनके विरुद्ध धारा 304–ख के सभी अवयवों को स्थापित पाए जाने के पश्चात, उन्हें केवल धारा 304–ख सहपठित धारा 34 के तहत ही दोषसिद्ध किया जाना चाहिए था। हालांकि, विचारण न्यायालय ने उन्हें त्रुटिपूर्ण ढंग से धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध **किया है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 16 एस सी सी 353**, और **मुथु कुट्टी एवं अन्य बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु, ए आई आर 2005 एस सी 1473** में प्रतिपादित स्थापित विधि के विपरीत है। अतः, आक्षेपित निर्णय साक्ष्य के गलत मूल्यांकन और विधि के गलत प्रयोग से ग्रस्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में स्थिर रखने योग्य नहीं है और इसे निरस्त किए जाने योग्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण की ओर से दी गई दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध मामले को संदेह से परे स्थापित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त और प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के उचित परिशीलन के उपरांत, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख सहपठित धारा 34 और धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराधों के लिए सही ढंग से दोषसिद्ध किया है। दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश का आदेश सुविचारित है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक विचार पर आधारित है। ऐसे में, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

9. शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–12) में, डॉ. महेंद्र मधुकर (अ.सा.–11/ए) ने मृतक के शरीर पर कई बाहरी और आंतरिक चोटें पाईं, जो इस प्रकार हैं:

- मृतक के शरीर पर आघात और चोट के कई लक्षण दिखाई दिए।
- गर्दन, छाती और चेहरे पर 'वीनस कंजेशन' था, जिससे रक्त के थक्के जम गए थे और सूजन आ गई थी।
- आँखें बंद थीं और पलकें सूजी हुई थीं।
- दोनों आँखों के निचले हिस्से पर खरोंच के निशान थे, जिनका माप 2 X 0.5 सेमी और 1 x 0.5 सेमी था।
- माथे पर कई खरोंचें थीं, जिनका माप 2 X 2 सेमी और 1 x 0.5 सेमी था।
- गर्दन के चारों ओर 14 इंच लंबी साड़ी लिपटी हुई थी, जिसकी गांठ बाएं कान के पास थी।
- छाती पर कई खरोंचें थीं, जिनका माप 2 X 1 सेमी, 4 X 0.5 सेमी, 1 X 1 सेमी और 8 X 4 सेमी था।
- हायोइड अस्थि के स्तर पर एक कुंद भेदन चोट मौजूद थी।
- गर्दन के चारों ओर एक लिगेचर मार्क मौजूद था, जिसका माप 13 इंच X 1.5 इंच था।
- गले और श्वासनली में रक्त मिश्रित झागदार तरल था, साथ ही हायोइड अस्थि का फ्रैक्चर और थायराइड कार्टिलेज का लंबवत टूटना पाया गया।

मत: मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण होने वाला श्वासावरोध था और मृत्यु की प्रकृति मानव–वध के पक्ष में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. शव परीक्षण रिपोर्ट और डॉ. महेंद्र मधुकर (अ.सा.–11/ए) की गवाही से यह स्पष्ट है कि मृतक को कई चोटें आईं और उसकी मृत्यु की प्रकृति मानव–वध थी। विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सही ढंग से यह निष्कर्ष दर्ज किया है, और इसे विपरीत या अभिलेख के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है।

11. अ.सा.–1, बसंत राठौर, मृतका के पिता, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उनकी पुत्री प्रांजल राठौर का विवाह 26.04.2020 को दीपक राठौर के साथ हुआ था। विवाह के लगभग एक सप्ताह बाद, अभियुक्तों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना और शारीरिक रूप से उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया। नवरात्रि (22.10.2020) के दौरान, जब वे उसे घर लाए, तब उसने खुलासा किया कि अभियुक्त ₹3,00,000/– दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 25.10.2020 को, ए–1 दीपक उनके घर आया और वादा किया कि वह उसे फिर से प्रताड़ित नहीं करेगा। 26.10.2020 को, उन्होंने अपनी पुत्री को सुबह लगभग 5:00 बजे उसके ससुराल वापस भेज दिया। हालांकि, दोपहर लगभग 12:00 बजे, उन्हें ए–2 ईश्वरी बाई का फोन आया जिसमें सूचित किया गया कि उनकी पुत्री ने फांसी लगा ली है। घटना स्थल पर पहुँचने पर, उन्होंने अपनी पुत्री को पंखे से लटका हुआ पाया, जिसकी गर्दन और हाथों पर दृश्यमान चोटें थीं, और उन्हें संदेह हुआ कि अभियुक्तों ने गला घोंटकर उसकी हत्या की है और फिर आत्महत्या का स्वांग रचने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया है।

12. अ.सा.–2, निर्मला देवी, मृतका की माता, ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की और आगे बताया कि अभियुक्त लगातार ₹3,00,000/– की मांग कर रहे थे और राशि का भुगतान न करने पर उनकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। 26.10.2020 को, पति द्वारा मृतका को वापस ले जाने के तुरंत बाद, उन्हें उनकी पुत्री की फांसी लगाकर मृत्यु होने की सूचना दी गई। उन्हें संदेह था कि अपीलार्थीगण ने उसकी हत्या की है और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को लटका दिया है।

13. अ.सा.–3, प्रियंका राठौर, मृतका की बहन, ने भी गवाही दी कि उसकी बहन ने उसे ₹3,00,000/– की बार–बार की मांगों और उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा किए गए शारीरिक हमलों के बारे में बताया था। उसे भी संदेह था कि अभियुक्तों ने उसकी बहन की हत्या कर दी है और आत्महत्या का आभास देने के लिए शव को लटका दिया है।

14. अ.सा.–6, दिलीप राठौर, ए–1 के भाई और ए–2 के पुत्र, ने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका ने छत के पंखे से साड़ी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और उन्होंने ही मर्ग सूचना दर्ज की थी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मर्ग और नजरी नक्शा के संबंध में कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त साक्ष्यों के मात्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मृतका का विवाह अप्रैल 2020 में संपन्न हुआ था और उसकी मृत्यु अक्टूबर 2020 में हुई, अर्थात् उसके विवाह के सात महीने के भीतर।

16. सुगम संदर्भ हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख का प्रावधान नीचे उद्धृत है:

> "**304–ख. दहेज मृत्यु** –– (1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'दहेज' का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।
>
> (2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।"

उपरोक्त प्रावधान अधिनियम 43, 1986 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था और 19.11.1986 से प्रभावी हुआ।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु, निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों की संतुष्टि होनी चाहिए–

- महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए।
- ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई होनी चाहिए।
- मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व, उसे उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया होना चाहिए।
- ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

इस प्रकार, यदि उपरोक्त अवयव अभियोजन द्वारा उचित विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके स्थापित किए जाते हैं, तो ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा तथा ऐसे तथ्य को सिद्ध के रूप में दर्ज करेगा, जब तक कि अभियुक्त द्वारा इसे नासाबित न कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113–ख दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के विषय में बताती है, जो इस प्रकार है:–

> "113–ख. **दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा**––जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उस स्त्री को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में, क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।
>
> **स्पष्टीकरण**––इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304–ख में है।"

19. उपरोक्त प्रावधान यह दर्शाता है कि यदि स्त्री के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क में परिभाषित क्रूरता की गई है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 निम्नानुसार प्रावधान करती है:–

> "**धारा 2. 'दहेज' की परिभाषा**––इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो दी गई है या दी जाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहमति दी गई है—
>
> (क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; अथवा
>
> (ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को;

उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफल स्वरूप, विवाह के समय या उससे पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय, किन्तु उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरियत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है।"

20. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य अवयवों में से एक, जिसे स्थापित किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि "उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व" उसे "दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख में प्रयुक्त शब्दावली "उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व" साम्य परीक्षण के विचार के साथ उपस्थित है।

21. अप्पासाहेब एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 9 एस सी सी 721 के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा कंडिका 9 से 11 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

"9. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के दो अनिवार्य अवयव, अन्यों के अतिरिक्त, ये हैं (i) स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है, और (ii) स्त्री को उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में, क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख की उपधारा (1) के साथ संलग्न स्पष्टीकरण कहता है कि "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।

10.दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

"2. 'दहेज' की परिभाषा—

इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो दी गई है या दी जाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहमति दी गई है—

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; अथवा

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, विवाह के समय या उससे पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय, किन्तु उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरियत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है।"

11."दहेज" शब्द की उपरोक्त परिभाषा के आलोक में, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के समय या उससे पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय और उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जानी चाहिए या दिए जाने की सहमति होनी चाहिए। इसलिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के देने और लेने का पक्षकारों के विवाह के साथ कुछ संबंध होना चाहिए और संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के देने या लेने का पक्षकारों के विवाह के साथ सह–संबंध होना आवश्यक है। एक दंडात्मक प्रावधान होने के नाते इसकी कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए। दहेज भारत में एक सुविदित सामाजिक प्रथा या रिवाज है। विधि की व्याख्या का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि अधिनियम किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय या संव्यवहार के संदर्भ में पारित किया गया है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें उस व्यापार, व्यवसाय या संव्यवहार से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है या समझता है कि उसका उसमें एक विशेष अर्थ है, तो उन शब्दों की व्याख्या उसी विशेष अर्थ में की जानी चाहिए। किसी वित्तीय तंगी के कारण या किसी तत्काल घरेलू खर्च के लिए या खाद खरीदने के लिए धन की मांग को 'दहेज' की मांग नहीं कहा जा सकता, जैसा कि उक्त शब्द को सामान्यतः समझा जाता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, इसलिए, यह नहीं दर्शाते हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित 'दहेज' की कोई मांग की गई थी, क्योंकि कथित तौर पर जो मांगा गया था वह घरेलू खर्चों को पूरा करने और खाद खरीदने के लिए कुछ धन था। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख का एक अनिवार्य अवयव अर्थात् दहेज की मांग स्थापित नहीं है, अतः अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उच्चतम न्यायालय ने **मुस्तफा शाहदाल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 11 एस सी सी** 397 के मामले में "मृत्यु के ठीक पूर्व" शब्दावली पर विचार करते हुए यह निर्धारित किया है कि, "मृत्यु के ठीक पूर्व" की अवधि का निर्धारण न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। सामान्यतः इसका अर्थ यह है कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और मृत्यु के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए और दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव तथा संबंधित मृत्यु के बीच एक 'सन्निकट एवं जीवंत कड़ी' का अस्तित्व होना चाहिए। यह आगे निर्धारित किया गया है कि यदि क्रूरता की कथित घटना समय के अंतराल में बहुत दूर है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि वह संबंधित महिला के मानसिक संतुलन को विचलित न कर सके, तो उसका कोई महत्व नहीं होगा।

23. अ.सा.–1, अ.सा.–2 और अ.सा.–3, जो मृतका के पिता, माता और बहन हैं, के अभिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि विवाह के तुरंत बाद, मृतका को अपीलार्थीगण द्वारा ₹3,00,000/– दहेज की मांग के लिए निरंतर क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। अच्छे व्यवहार के आश्वासनों के बावजूद, उसे ससुराल वापस भेजे जाने के कुछ ही घंटों के भीतर वह मृत पाई गई।

24. शव परीक्षण रिपोर्ट, मौखिक साक्ष्य के साथ मिलकर, निर्णायक रूप से सिद्ध करती है कि मृत्यु मानव–वध की प्रकृति की थी और सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई थी, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख के तहत उपधारणा आकर्षित होती है।

25. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मामला प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख/34 के तहत पंजीकृत किया गया था, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धारा 302/34 के तहत एक वैकल्पिक आरोप भी विरचित किया और अंततः बिना किसी ठोस तर्क के अपीलार्थीगण को दोनों अपराधों के लिए दोषसिद्ध कर दिया।

26. विचारण न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि के समर्थन में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का भी सहारा लिया; हालाँकि, मानव–वध के आपराधिक दायित्व को सिद्ध करने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, धारा 302 और 304–ख भारतीय दंड संहिता के तहत एक साथ दोषसिद्धि विधिक रूप से अनुज्ञेय नहीं है।

27. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मृतका को विवाह की तिथि से सात वर्ष के भीतर दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता का सामना करना पड़ा और विवाह के 7 महीने के भीतर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के दोषी हैं, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक सही तथ्यात्मक निष्कर्ष है। यह न तो विपरीत है और न ही अभिलेख के प्रतिकूल है, और हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अब प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण को धारा 304–ख/34 के साथ–साथ धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध करने में एक साथ न्यायोचित है?

29. इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय के दो प्रासंगिक निर्णयों पर यहाँ ध्यान दिया जा सकता है।

30. उच्चतम न्यायालय ने **सुरेश कुमार** (पूर्वोक्त) के मामले में यह निर्धारित किया कि यदि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के सभी अवयवों को स्थापित कर देता है, तो कोई भी मृत्यु (चाहे वह मानव–वध हो या आत्महत्या या दुर्घटना) और चाहे वह जलने से हुई हो या शारीरिक चोट से या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो, विधायी अधिदेश के अनुसार, उसे "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा। कंडिका 27 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है: –

> "27. महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख मृत्यु को मानव–वध या आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जलने के कारण होने वाली मृत्यु, किसी दिए गए मामले में, मानव–वध या आत्महत्या या दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार, शारीरिक चोट के कारण होने वाली मृत्यु भी मानव–वध, आत्महत्या या दुर्घटना हो सकती है। अंततः, "सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा" होने वाली कोई भी मृत्यु मानव–वध, आत्महत्या या दुर्घटना हो सकती है। इसलिए, यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के अन्य सभी अवयव पूरे होते हैं, तो कोई भी मृत्यु (चाहे वह मानव–वध हो या आत्महत्या या दुर्घटना) और चाहे वह जलने

> से या शारीरिक चोट से हुई हो या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो, विधायी अधिदेश के अनुसार "दहेज मृत्यु" कहलाएगी और महिला के पति या उसके रिश्तेदार को "उसकी मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा"।"

31. इसी प्रकार, **मुथु कुट्टी** (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति मृत्यु कारित करने के अपराध में प्रत्यक्ष सहभागी हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 302 और 304 के प्रावधान आकर्षित होंगे, और कंडिका 20 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है: –

> "20. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विधि ऐसी उपधारणा को प्राधिकृत करती है कि यदि किसी स्त्री की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह दर्शाने के लिए साक्ष्य मौजूद है कि उसकी मृत्यु से पूर्व दहेज की किसी मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे प्रताड़ित किया गया था, तो पति या पति के किसी अन्य नातेदार ने उसकी मृत्यु कारित की है। अतः, इसका परिणाम यह है कि पति या नातेदार, जैसा भी मामला हो, का मृत्यु के अपराध कारित करने में वास्तविक या प्रत्यक्ष सहभागी होना आवश्यक नहीं है। उनके लिए जो मृत्यु के अपराध के प्रत्यक्ष सहभागी हैं, धारा 300, 302 और 304 में पहले से ही प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांतों से यह स्पष्ट किया गया कि धारा 304–ख उन मामलों को समाहित करती है जहाँ अभियुक्त मृत्यु कारित करने में प्रत्यक्ष सहभागी नहीं हो सकते हैं; हालाँकि, प्रत्यक्ष सहभागी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 या 302 के तहत अलग से उत्तरदायी होते हैं।

33. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि श्रीमती प्रांजल राठौर की मृत्यु उनके विवाह के सात महीने के भीतर गला घोंटने के कारण श्वासावरोध से एक अप्राकृतिक मृत्यु थी, और अपीलार्थीगण द्वारा ₹3,00,000/– की मांग के लिए उनके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था। हालांकि, साशय मानव–वध का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए बिना, उन्हें धारा 302/34 और धारा 304–ख/34 भारतीय दंड संहिता के तहत एक साथ दोषसिद्ध किया गया, जो विधिक रूप से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

34. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों को इस उपधारणा के साथ लागू करते हुए धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया कि मृतका अपीलार्थीगण के साथ रह रही थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत मात्र उपधारणा के आधार पर, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह एक सुस्थापित विधि है कि धारा 106 के तहत 'सबूत का भार' स्थानांतरित होने से पूर्व, अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होगा।

35. अंततः उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह सर्वथा स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 51 में प्रथमतः यह निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतका की अप्राकृतिक मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा गला घोंटने से हुई और ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई तथा मृत्यु के ठीक पूर्व, दहेज की मांग के संबंध में उसे यहाँ मौजूद अपीलार्थीगण अर्थात् उसके पति और सास द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। किन्तु उसके पश्चात, कोई अन्य निष्कर्ष दर्ज किए बिना, विचारण न्यायालय ने निर्णय के पुनः कंडिका 51 में अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत भी एक साथ दोषसिद्ध कर दिया है, जो हमारी सुविचारित राय में उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुरेश कुमार** (पूर्वोक्त) और **मुथु कुट्टी** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के विपरीत है।

36. चाहे जो भी हो, एक न्यायालय सामान्यतः किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख और धारा 302 के तहत एक साथ दोषसिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों अपराध परस्पर अनन्य हैं। यदि दहेज मृत्यु की शर्तें पूरी होती हैं, तो मामला दहेज मृत्यु की श्रेणी में आता है। हालांकि, यदि अभियोजन यह सिद्ध कर देता है कि मृत्यु एक सुनियोजित हत्या थी, तो धारा 302 के तहत दोषसिद्धि अधिक उपयुक्त होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. सम्पूर्ण साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सूक्ष्म परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के अर्थ के अंतर्गत एक 'दहेज मृत्यु' थी। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप वैकल्पिक रूप से विरचित किया गया था, किन्तु धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध और दंडित करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

38. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण की धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि स्थिर रखने योग्य नहीं है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। हालांकि, धारा 304–ख/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, क्योंकि यह अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों द्वारा पूर्णतः समर्थित है।

39. यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 2, ईश्वरी बाई राठौर, जमानत पर है। उनके जमानत पत्र निरस्त किए जाते हैं, और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने तथा/या शेष सजा काटने के लिए अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 1, दीपक कुमार राठौर, पहले से ही जेल में है और वह विचारण न्यायालय द्वारा धारा 304–ख/34 भारतीय दंड संहिता के तहत सुनाई गई शेष कारावास की अवधि भुगतना जारी रखेगा।

40. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को प्रेषित करे ताकि इसे अपीलार्थीगण को तामील कराया जा सके, और उन्हें उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जा सके।

41. तदनुसार, यह दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

42. इस निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से राज्य के सभी सत्र न्यायालयों को परिचालित की जाएगी, ताकि कथित दहेज मृत्यु के मामलों में, आरोप विरचित किए जाएं और विचारण कड़ाई से विधि के अनुसार संचालित किए जाएं।

43. मामले का अभिलेख, इस निर्णय की प्रति के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेज दिया जाए।

सही /– **(बिभु दत्त गुरु)** न्यायाधीश	सही /– **(रमेश सिन्हा)** मुख्य न्यायाधिपति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

HEAD NOTE

Basic ingredients of both the offences i.e. S. 302 and S. 304–B IPC operates in distinct spheres, each require appreciation of evidence from the perspective relevant to the ingredients of the respective offence.

शीर्ष टिप्पणी

भारतीय दंड संहिता की धारा **302** एवं धारा **304–ख** के दोनों अपराधों के आधारभूत तत्व पृथक क्षेत्रों में सुसंगत होते हैं, दोनों अपराधों की विवेचना के लिए संबंधित अपराध के तत्वों के सुसंगत परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur